

न्यायालय अपर समाहर्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या-33/2017-18

केदार पासवान बनाम संजय कुमार वगैरह

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित																								
1	2	3																								
19/12/18	<p>आदेश</p> <p>इस वाद की कार्यवाही केदार पासवान सिन्हा, पिता स्व० लालो पासवान, मुहल्ला-बनारसी घाट, वार्ड नं० 15, थाना-बाढ़, जिला-पटना के आवेदन पर आरम्भ की गयी।</p> <p>आवेदक के द्वारा इस आशय का आवेदन दिया गया है कि मौजा वाजिदपुर थाना नं० 54, खाता नं० 4 खेसरा नं० 149 में निम्नलिखित व्यक्तियों के द्वारा अचल कार्यालय बाढ़ को गुमराह कर के गलत ढंग से जमाबंदी कायम करवा कर राजस्व रसीद निर्गल करवा ली गयी है, जबकि प्रश्नगत भूखण्ड पर टाईटिल सूट 112/2009 सब जज-II बाढ़ के न्यायालय में लम्बित है।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र०</th> <th>नाम एवं पता</th> <th>जमाबंदी सं०</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>संजय कुमार, पिता राम चन्द्र यादव, साकिन-गुलाबबाग, थाना-बाढ़</td> <td>132</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>अवधेश, पिता राम चन्द्र यादव, साकिन-गुलाबबाग, थाना-बाढ़</td> <td>131</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>बच्चू देवी, पति स्व० रामकृत यादव, साकिन-गुलाबबाग, थाना-बाढ़</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>राम चन्द्र यादव, पिता स्व० मेन्धारी यादव, साकिन-गुलाबबाग थाना-बाढ़</td> <td>133</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>चिन्ता देवी, पति स्व० किशोरी प्रसाद, साकिन-गुलाबबाग, थाना-बाढ़</td> <td>128</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>गोना यादव, पिता स्व० तिरपत यादव, साकिन-गुलाबबाग, थाना-बाढ़</td> <td>129</td> </tr> </tbody> </table> <p>इस न्यायालय में वाद की प्रविष्टी के पश्चात विपक्षीगण को नोटिस निर्गत की गयी। दिनांक-09.09.2017 को विपक्षी सं० 2 से 6 की तरफ से वकालतनामा दाखिल किया गया। विपक्षीगण की तरफ से प्रतिउत्तर दायर नहीं किया गया। दिनांक-28.03.2018 को उभय पक्ष अनुपस्थित पाये गये। पुनः दिनांक-22.05.2018 एवं 24.10.2018 को आवेदक की तरफ से हाजरी दी गयी, परन्तु पुकार पर उपस्थित नहीं हुए। गत तिथि 24.10.2018 को आवेदक को अंतिम मौका दिया गया था, परन्तु आवेदक एवं विपक्षीगण आज भी अनुपस्थित है। स्पष्ट है कि उभय पक्ष को इस वाद के संचालन में कोई दिलचस्पी नहीं है।</p> <p>वाद को खारिज करते हुए कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापिल एवं संशोधित।</p> <p>19/12/18 (वजैत उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्ता, पटना</p> <p>19/12/18 (वजैत उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्ता, पटना</p>	क्र०	नाम एवं पता	जमाबंदी सं०	1	2	3	1	संजय कुमार, पिता राम चन्द्र यादव, साकिन-गुलाबबाग, थाना-बाढ़	132	2	अवधेश, पिता राम चन्द्र यादव, साकिन-गुलाबबाग, थाना-बाढ़	131	3	बच्चू देवी, पति स्व० रामकृत यादव, साकिन-गुलाबबाग, थाना-बाढ़	130	4	राम चन्द्र यादव, पिता स्व० मेन्धारी यादव, साकिन-गुलाबबाग थाना-बाढ़	133	5	चिन्ता देवी, पति स्व० किशोरी प्रसाद, साकिन-गुलाबबाग, थाना-बाढ़	128	6	गोना यादव, पिता स्व० तिरपत यादव, साकिन-गुलाबबाग, थाना-बाढ़	129	
क्र०	नाम एवं पता	जमाबंदी सं०																								
1	2	3																								
1	संजय कुमार, पिता राम चन्द्र यादव, साकिन-गुलाबबाग, थाना-बाढ़	132																								
2	अवधेश, पिता राम चन्द्र यादव, साकिन-गुलाबबाग, थाना-बाढ़	131																								
3	बच्चू देवी, पति स्व० रामकृत यादव, साकिन-गुलाबबाग, थाना-बाढ़	130																								
4	राम चन्द्र यादव, पिता स्व० मेन्धारी यादव, साकिन-गुलाबबाग थाना-बाढ़	133																								
5	चिन्ता देवी, पति स्व० किशोरी प्रसाद, साकिन-गुलाबबाग, थाना-बाढ़	128																								
6	गोना यादव, पिता स्व० तिरपत यादव, साकिन-गुलाबबाग, थाना-बाढ़	129																								